



# राजस्थान आवासन मण्डल

भविष्य के बाजार में बनें, आप भी भागीदार

निर्मित मकान/व्यवसायिक/आवासीय  
भूखण्डों की मोहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

## भाव्य नीलामी

मोहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि

खण्ड अलवर :

23.09.2010 से 30.09.2010

खण्ड भिवाड़ी :

13.09.2010 से 20.09.2010

खण्ड भरतपुर :

16.09.2010 से 23.09.2010

क्र.स.	सैक्टर	नि. दु./मकान/व्यव. /आवा. भूखण्ड संख्या	दु./मकान/भूखण्ड की माप/क्षे. (व.मी.)	न्यूनतम विक्रय मूल्य (प्रति मकान/वर्ग मी.)
<b>01. -खण्ड, अलवर :</b>				
<b>(अ.) व्यावसायिक भूखण्ड C.E.B. आवासीय योजना (व्यावसायिक भूखण्ड)</b>				
1.	1	30#	4.00	37000.00
2.	1	31	4.00	35000.00
3.	1	32	4.00	35000.00
4.	1	33	4.00	35000.00
5.	4	34	4.00	35000.00
6.	4	35*	4.00	35000.00
7.	4	36#	4.00	37000.00
<b>N.E.B. विस्तार योजना</b>				
8.	2 व 3	11#	14.18	22500.00
9.	2 व 3	14#	14.18	22500.00
10.	2 व 3	15	13.50	21500.00
11.	2 व 3	16	13.50	21500.00
12.	2 व 3	17	13.50	21500.00
13.	2 व 3	18	13.50	21500.00
14.	2 व 3	21	13.50	21500.00
15.	2 व 3	22	13.50	21500.00
16.	2 व 3	23	13.50	21500.00
17.	2 व 3	24	13.50	21500.00
18.	2 व 3	25#	14.18	23000.00
<b>ब. आवासीय भूखण्ड (CEB योजना)</b>				
1.	5	5-ख-38	168.00	9500.00

क्र.स.	सैक्टर	नि. दु./मकान/व्यव. /आवा. भूखण्ड संख्या	दु./मकान/भूखण्ड की माप/क्षे. (व.मी.)	न्यूनतम विक्रय मूल्य (प्रति मकान/वर्ग मी.)
<b>02. -खण्ड, भिवाड़ी</b>				
<b>अ. Sect., 4 &amp; 7 निर्मित मकान</b>				
1.	4	4/107	92.81	925000.00
2.	7	7/236	90.00	1150000.00
3.	7	7/237	91.50	1160000.00
4.	7	7/238	91.50	1160000.00
5.	4	4/264	120.00	1775000.00
6.	4	4/376#	119.68	1775000.00
7.	4	4/377#	121.20	1785000.00
8.	7	7/371	126.00	1875000.00
9.	7	7/372	120.00	1830000.00
10.	7	7/373	120.00	1830000.00
11.	7	7/374	120.00	1830000.00
12.	7	7/375	120.00	1830000.00
13.	7	7/376	120.00	1830000.00
14.	7	7/377	120.00	1830000.00
15.	7	7/378	120.00	1830000.00
16.	7	7/379#	165.00	2175000.00
<b>ब. Sect., 4 &amp; 7 आवासीय भूखण्ड</b>				
1.	4	4/011	210.00	17000.00
2.	4	4/012	210.00	17000.00
3.	4	4/013	210.00	17000.00
4.	4	4/014	210.00	17000.00
5.	4	4/015	210.00	17000.00
6.	4	4/016*	210.00	17000.00
7.	4	4/017	210.00	17000.00
8.	4	4/018**	210.00	17000.00

क्र.स.	सैक्टर	नि. दु./मकान/व्यव. /आवा. भूखण्ड संख्या	दु./मकान/भूखण्ड की माप/क्षे. (व.मी.)	न्यूनतम विक्रय मूल्य (प्रति मकान/वर्ग मी.)
9.	4	4/019	210.00	17000.00
10.	4	4/020#	202.00	20000.00
11.	7	7/015#	190.00	18000.00
12.	7	7/025*	228.00	15000.00
13.	7	7/026	210.00	16000.00
14.	7	7/027	210.00	16000.00
15.	7	7/028	210.00	16000.00
16.	7	7/029**	210.00	16000.00
17.	7	7/030	210.00	16000.00
18.	7	7/031*	210.00	16000.00
19.	7	7/032	210.00	16000.00
20.	7	7/033#	282.60	17000.00
21.	7	7/034#	234.00	17000.00
22.	7	7/035	210.00	16000.00
23.	7	7/036**	210.00	16000.00
24.	4	4/383*	121.20	16000.00
25.	4	4/384	121.20	16000.00
26.	4	4/385	121.20	16000.00
27.	4	4/386	171.20	17000.00
28.	7	7/425	129.20	17000.00
29.	7	7/352	108.00	16000.00
30.	7	7/060*	166.50	17000.00
<b>Old Scheme</b>				
31.	1	1/039	148.50	20000.00
<b>03. - खण्ड, भरतपुर आवासीय भूखण्ड</b>				
<b>Jawhar Nagar Scheme</b>				
1.	3	3/093	72.00	10500.00
<b>STC Scheme</b>				
2.	2	2-F-06	59.06	3900.00

\*अनु. जाति \*\*अनु. जनजाति #कार्फर

### निर्धारित प्रारूप

निविदादाता का नाम ..... पत्र व्यवहार का पता .....

स्थायी पता ..... दूरभाष .....

योजना का नाम ..... सम्बन्धित खण्ड कार्यालय .....

निर्मित दुकान/निर्मित मकान/व्यवसायिक/आवासीय भूखण्डों की संख्या (जिसके लिए मोहरबन्द निविदाएं प्रेषित की जा रही हैं) सैक्टर .....

भूखण्ड/मकान/प्रति दुकान संख्या ..... निविदादाता द्वारा लगाई गई बोली रु. प्रति दुकान/प्रति वर्ग मीटर .....

संलग्न राशि रु. .... बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... बैंक का नाम .....

आरक्षित श्रेणी-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य .....

हस्ताक्षर निविदादाता

आवेदक का फोटो नोटरी/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित

मोहरबन्द निविदाएं संबंधित खण्ड कार्यालय में निर्धारित दिनांक को अपराह्न 01.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन अपराह्न 02.00 बजे खोली जावेगी।

--: खण्ड अलवर :-:

कार्यालय आवासीय अभियन्ता,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
मुनमार्ग हाऊसिंग बोर्ड (बस स्टैण्ड के पीछे), अलवर  
दूरभाष : 0144-2333093 मोबाइल : 9983993906  
समय : 2:00 बजे (अपराह्न) • दिनांक : 30.09.2010

--: खण्ड भिवाड़ी :-:

कार्यालय आवासीय अभियन्ता,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
आशियान ग्रीन के सामने, भिवाड़ी  
फोन : 01493-230484 मोबाइल : 9828109454  
समय : 2:00 बजे (अपराह्न) • दिनांक : 20.09.2010

--: खण्ड भरतपुर :-:

कार्यालय आवासीय अभियन्ता,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
एस.टी.सी. आवासीय योजना मकान नं. 2-ए-1, भरतपुर  
फोन : 05644-223672 मोबाइल : 9983333564  
समय : 2:00 बजे (अपराह्न) • दिनांक : 23.09.2010

**मुहरबन्द प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया :-** 1. नीलामी में निर्मित दुकान/निर्मित मकान/आवासीय भूखण्ड/व्यवसायिक भूखण्ड क्रय करने के इच्छुक क्रेता अपने प्रस्ताव क्रय राशि दर्शाते हुये मुहरबन्द निर्धारित पत्र में भरकर बन्द लिफाफे में आवासीय अभियन्ता, खण्ड अलवर/भिवाड़ी/भरतपुर में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफे पर जिस निर्मित दुकान/निर्मित मकान/आवासीय भूखण्ड/व्यवसायिक भूखण्ड की निविदा प्रस्तुत की जा रही है उस दुकान/मकान/भूखण्ड का विवरण/नम्बर स्पष्ट लिखना आवश्यक है। 2. बोलीदाता को 10 लाख रुपये तक के न्यूनतम विक्रय मूल्य पर अमानत राशि 10 हजार रुपये अथवा न्यूनतम विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो अमानत राशि के रूप में एवं 10 लाख से अधिक किन्तु 50 लाख तक के विक्रय मूल्य तक 50 हजार रुपये अमानत राशि के रूप में आवासीय अभियन्ता खण्ड अलवर/भिवाड़ी/भरतपुर के पक्ष में देय ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा।

**नीलामी की शर्त :-** 1. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त मुहरबन्द प्रस्तावों को खोला नहीं जायेगा एवं ऐसे सभी प्रस्ताव निरस्त समझे जावेंगे। 2. बोलीदाता को 10 लाख रुपये तक के न्यूनतम विक्रय मूल्य पर अमानत राशि 10,000/- रुपये अथवा न्यूनतम विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो अमानत राशि के रूप में एवं 10 लाख से अधिक किन्तु 50 लाख तक के विक्रय मूल्य तक 50 हजार रुपये अमानत राशि के रूप में 'राजस्थान आवासन मण्डल' खण्ड अलवर/भिवाड़ी/भरतपुर के पक्ष में देय ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा। 3. सशर्त विक्रय प्रस्ताव सीधे ही निरस्त किये जायेंगे। 4. प्राप्त प्रस्ताव उपस्थित प्रस्तावकों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मण्डल द्वारा गठित अधिकृत समिति द्वारा उक्त निर्दिष्ट दिनांक एवं समय पर कार्यालय आवासीय अभियन्ता खण्ड अलवर/भिवाड़ी/ खण्ड भरतपुर में खोले जायेंगे। 5. अधिकतम मूल्य के प्रस्ताव देने वाले निविदादाता को उच्चतम क्रय मूल्य की 5 प्रतिशत मॉके पर (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) 10 प्रतिशत राशि 24 घण्टे में एवं शेष राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह में जमा करानी होगी। उक्त निर्धारित (बैंक ड्राफ्ट आवासीय अभियन्ता खण्ड अलवर/भिवाड़ी/भरतपुर के नाम) कार्य दिवस पर अपरिहार्य कारणों से राजकीय अवकाश होने की अवस्था में यह राशि अगले कार्य दिवस में जमा करानी होगी। 6. निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने की अवस्था में अमानत राशि सहित सभी जमा राशियाँ जब्त करते हुए सम्बन्धित निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा। 7. किसी भी मोहरबन्द प्रस्तावों/सभी प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। 8. भूखण्ड/निर्मित मकान का साईज आवंटन पत्र में दर्शाया जावेगा उसी के अनुरूप राशि वसूली जावेगी। 9. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध भूखण्ड/प्रति मकान/दुकान/भूखण्ड हेतु मोहरबन्द प्रस्ताव सम्बन्धित निविदा प्राप्ति अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जायेंगे यदि किसी योजना में उपलब्ध भूखण्ड का प्रस्ताव निर्दिष्ट प्राप्ति अधिकारी को न देकर किसी अन्य अधिकारी को न दिया जाता है तो उसे निरस्त माना जायेगा। 10. आवंटन पत्र में स्वीकृत निविदा की राशि के साथ मण्डल नियमानुसार अन्य देय राशियाँ (लीजमनी, अन्य विविध चार्ज आदि) की भी मांग की जायेगी। 11. निविदा स्वीकृत पश्चात् आवंटन पत्र जारी किया जावेगा जिसकी मांग राशि पत्र जारी होने के एक माह के अन्दर जमा करानी होगी। अन्यथा जमा राशियाँ जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। 12. निर्मित मकान/दुकान 'जहाँ है जैसी स्थिति' में क्रेता को लेना होगा। 13. अनु. जाति/अनु. जनजाति का आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। 14. एकल-बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर (बस स्टैण्ड के पास) फोन : 0144-2332612 फैक्स : 0144-2347863